अध्यापक शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श का प्रशिक्षण : समय की मांग

डॉ0 जीतनारायण यादव

विभागाध्यक्ष –शिक्षा संकाय (बी0एड0)
राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सुजानगंज, जौनपुर

दैनन्दिन विकासमान तकनीकी आविष्कार, जनसंख्या के बढते दबाव, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, निर्धनता के कारण संसार में जीवन जटिल हो गया है। कुछ व्यक्ति ही सक्षम है जो अपनी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान एवं सामना कर सकते है। बालक जब जन्म लेता है, तब स्वतन्त्र कार्य करने में सक्षम नही होता है। वह निश्चित नैसर्गिक गुणों के साथ जन्म लेता है, जिनके फलस्वरुप इस भौतिक वातावरण में समायोजन करने का प्रयास करता है। वह अधिकांश समय तक अपने अभिभावकों पर आश्रित रहता है और वे उसकी आरम्भिक बाल्यावस्था के विकास के उत्तरदायी होते है। परिवार की परिधि से जब वह विद्यालय के वातावरण में आता है तब नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संघर्ष की शुरुआत कर देता है। यह मनुष्य एवं वातावरण के बीच संघर्ष का ही परिणाम है जिसमें उसके रहने की स्थिति, रीति–रिवाज, नियमों, सामाजिक बाध्यताओं,मूल्यों के साथ संस्कृतिकरण का प्रयास किया है सभ्यता और संस्कृति वें अभेद्य पहलू है, जिन्होने व्यक्ति के जीवन में और अधिक जटिलता ला दी है। आधुनिक विज्ञान तकनीकी ने जहॉ अप्रत्याशित उन्नति की राह दिखाई है, वही अनचाही समस्याओं को भी पोषित किया है। श्रेष्ठ सम्प्रेषण के माध्यम, वित्तीय अन्तः निर्भरता एवं अर्थपूर्ण जीवन की तलाश के दबाव ने जीवन शैली एवं स्तर में भी तेजी से बदलाव ला दिया है विभिन्न विषयों, क्षेत्रों, माध्यमों के सामने खड़ा देश का भावी नागरिक जीवन के विकट मोड़ो पर अपने आप को निस्सहाय पाता है। उसका सम्पर्क ज्यों–ज्यों समाज के साथ बढ़ता है, त्यों–त्यों स्वंय को समस्याओं से घिरा हुआ अनिश्चय की स्थिति में वह घर, समाज एवं विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यो में निर्देशन की आवश्यकता महसूस करता है।

एक प्रौढ़ व्यक्ति अपेक्षाकृत स्वनिर्देशन एवं अपने सामाजिक अनुभवों की मदद से जीवन के स्थायित्व में सफल हो सकता है। लेकिन एक बालक को अनेक विकल्पों में से किसी एक को या कुछ को चुनना पड़ता है। कई बार स्थिति ऐसी भी आती है कि उसे यह पता नही होता कि उसके सामने कौन–कौन से विकलप है। इस सम्बन्ध में उसे अपनी योग्यता की और क्षमताओं की वास्तविक जानकारी भी नही होती है, तब स्थिति या परिस्थिति और भी विकट रुप

ले लेती है। कभी–कभी बालकों की यह मजबूरी होती है कि वे दूसरो की सहायता प्राप्त करें। निर्देशन एवं परामर्श में अप्रशिक्षित व्यक्ति/अध्यापक द्वारा किये जाने वाले निर्देशन एवं परामर्श के विषयों में यह आवश्यक नही है कि वह बालक के लिए विशेष लाभकारी हो और यह भी सम्भव है कि वह सलाह उसके लिए हानिकारक हो। यदि निर्देशन त्रुटिपूर्ण होगा तो बालक का मानसिक विकास, भावात्मक परिपक्वता, सौन्दर्य के प्रति प्रसंसात्मक दृष्टिकोण का विकास भी त्रुटिपूर्ण होगा। बालक के हित में सर्वोत्कृष्ट निर्देशन एवं परामर्श भलीभॉति योग्यता अर्जित अध्यापक द्वारा ठीक समय पर एवं उचित रीति से दिया जायें। विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श सेवा का सही ढंग से संगठन एवं संचालन करने के लिए अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श का सभी सेवारत तथा भावी अध्यापकों को अनिवार्य रुप से प्रशिक्षण समय के सापेक्ष आवश्यक है।

विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श सेवा के कार्य

1. बालक की क्षमताओं और आवश्यकतों के अनुरुप पाठ्यचर्चा का विकास करते हुए अपव्यय एवं अस्थिरता को दूर करना।
2. बालकों की योग्यता, क्षमता, अभिरुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम चयन करने में सहायता प्रदान करना। शिक्षा आयोग के अनुसार ''माध्यमिक स्तर पर निर्देशन का मुख्य कार्य किशोरों की योग्यता की पहचान करना है।'' यह छात्रों को उनकी शक्तियों एवं सीमाओं को समझने में सहायता देगा और उनके स्तर के अनुसार विद्वतापूर्ण कार्य में सहायक होगा, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक सूचनाएं देगा, शिक्षा को यथार्थवादी बनायेगा। घर तथा विद्यालय में वैयक्तिक एवं सामाजिक समायोजन के लिए आधार प्रस्तुत करेगा''।
3. असफल एवं त्रटिपूर्ण प्रयासों/ कार्यो की मात्रा कम करने में सहायता देना।
4. बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिकीय परिस्थितियों में जब विभिन्न व्यवसायों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता है बालक को व्यावसायिक नेतृत्व के लिए तैयार करना। मुदालियर आयोग के अनुसार ''अच्छी शिक्षा का रहस्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने छात्रों की रुचि–रुझान का परिचय करायें एवं सामाजिक समायोजन तथा अच्छें रोजगार के लिए उनमें शक्ति उत्पन्न करायें''।
5. अनुशासन एवं अपराध की समस्या का समाधान प्राप्त करना।
6. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न व्यवसायों के लिए योग्य कर्मियों की आपूर्ति में योगदान देना।
7. परिवार नियोजन के लिए निर्देशन प्रदान करना।

8. जनसंख्या वृद्धि औद्योगिकीकरण, भू–मण्डलीकरण एवं पाश्चात्यीकरण में किशोरों के सामने निराशा, द्वन्द, संघर्ष, तनाव और अन्य तरह के दबाव की स्थिति ला दी है। अतः उन्हे विकसित समाज के दबाव एवं तनाव से बचाना।
9. प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक स्थितियों में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसकी वैयक्तिकता का अधिकतम विकास करना।
10. कामकाजी महिलाओं के साथ पारिवारिक समायोजन की समस्या प्रायः दृष्टिगोचर हो रही है।
11. समाज में अनुसूचित जाति, धार्मिक वर्ग, सामाजिक संघर्ष, सेवानिवृत्त व्यक्तियों, औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना।

निर्देशन एवं परामर्श के प्रशिक्षण के उद्देश्य

1. विद्यालयी अध्यापकों में बालकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श की सम्प्रत्यात्मक समझ विकसित करना।
2. निर्देशन एवं परामर्श में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं एवं क्रिया विधियों के साथ छात्राध्यापकों का तादात्मीकरण करना।
3. स्कूली बालकों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने की दक्षता विकसित करना।

विद्यालयी अध्यापकों को निर्देशन एवं परामर्श के प्रशिक्षण की आवश्यकता

निर्देशन एवं परामर्श का प्रशिक्षण दिये जाने पर अध्यापक–

1. बलकों को व्यावसायिक एवं शैक्षिक चुनाव में उपयोगी सहायता कर सकता है। शिक्षा आयोग के अनुसार–''बहुउद्देश्यीय पाठ्यक्रम के कारण अध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंधकों पर यह अतिरिक्त कर्तव्य का भार, कि वे विद्यार्थियों को ठीक ढंग से निर्देशन कर सकें जिससे व्यावसायिक एवं शैक्षिक चुनाव में उपयोगी सहायता दी जा सकें''।
2. बालक को उसकी योग्यता, अभिरुचियों तथा अभिवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर सकता है।
3. बालक की मानसिक क्षमताओं के संदर्भ में उसकी आकांक्षाओं का ज्ञान कराने में सहायता कर सकता है।
4. वांछित मूल्यों के विकास में विद्यार्थी की सहायता कर सकता है।
5. बालक को ऐसे अवसर उपलब्ध करा सकता है, जिनकी सहायता से वह अपने कार्य क्षेत्र एवं प्रयासों के विषय में और सीख सकें।
6. बालक को ऐसे अनुभव प्राप्त कराने में सहायता कर सकता है, जिससे वह अपनी निर्णय–शक्ति में वृद्धि कर सकें।
7. बालक को अधिकाधिक आत्मनिर्देशित बनने में सहायता कर सकता है।

8. मानसिक प्रवृत्तियों को समझने, स्वीकारनें और काम में लेने में सहायता दे सकता है।
9. सहयोगियों को बेहतर ढंग से समझकर समुचित समायोजन कर सकता है।
10. यौन एवं अवकाश काल के सदुपयोग के लिए निर्देशन प्रदान कर सकता है।

उपर्युक्त कार्य एवं आवश्यकताओं को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि यह कार्य एक नियमित परामर्शदाता द्वारा भी करायें जा सकते है, फिर अध्यापक को निर्देशन एवं परामर्श का प्रशिक्षण क्यों ? शिक्षक बालक के बहुत नजकीक होता है। वह नियमित रुप से पॉच–छः घण्टे उसके साथ कार्य करता है, वही उसकी परिस्थिति व समस्या को शीघ्रता व आसानी से समझ सकता है और उसे दूर करने का सरलतम तरीका भी ढूंढ सकता है। बालक के अस्थिर व्यवहार को सही संदर्भ में उसका शिक्षक ही समझ सकता है। बालकों की समस्याएं कई प्रकार की हो सकती है– जटिल संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, यौन आदि या साधारण समस्याएं जिनका प्रर्दशन वे कभी–कभी ही करते है। जैसे– कक्षा में ध्यान न देना, मन नही लगना, परिवार की याद आना, पढ़ने में अरुचि, बार–बार पेंसिल टूटना, अन्य विद्यार्थी को धक्का देना, असत्य या गलत भाषा का प्रयोग करना, पाठ याद न करना आदि। इन समस्याओं का तुरन्त व सही निदान एवं उपचार नहीं होने पर सामान्य सी लगने वाली समस्याएं गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। भारत जैसे विकासशील देश में अलग से परामर्शदाता की नियुक्ति कर पाना स्वप्न सा प्रतीत होता है। वह भी तब जब नियमित विषय अध्यापकों की नियुक्ति भी छात्रों एवं विद्यालयों की आवश्यकतानुसार कर पाना संभव नही हुआ है। छात्राध्यापकों को निर्देशन एवं परामर्श का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कर इस अभाव की पूर्ति संभव है। शिक्षा आयोग (1964–66) के अनुसार–''प्राथमिक विद्यालयों में पृथक रुप से परामर्शदाता की नियुक्ति कर पाना कठिन है, क्योकि उनकी संख्या बहुत अधिक है। यह व्यवस्था बहुत खर्चीली होगी। अतः व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनके शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में निर्देशन सम्बन्धी बातों का ज्ञान दिया जाय जिससे वे इस कार्य को सफलतापूर्वक चला सकें। उन्हें इस काल में सरल निदानात्मक परीक्षणों तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आवश्यक रुप से अवगत कराया जायें।''

भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों ने बालकेन्द्रित शिक्षा के महत्व को समझते हुए, जनतांत्रिक मूल्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय–समय पर अध्यापक शिक्षा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये है। नवीनतम प्रौद्योगिकी का शिक्षा में प्रयोग इसका उदाहरण है। शिक्षक की विद्यालय एवं समाज में अपेक्षित भूमिकाओं के आधार पर उसकी प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय, अनुदेशकीय, पाठ्यक्रम निर्माता, मूल्यांकन कर्ता, पाठ्यसहगामी क्रियाओं का संचालन तथा संगठन कर्ता आदि भूमिकाओं के विकास पर बल दिया है। लेकिन जिसकी अनदेखी की गयी है, वह है परामर्शदाता के रुप में उसकी भूमिका। विद्यालय में एवं विद्यालयों के बाहर अध्यापक को निर्देशन एवं परामर्श करना पड़ता है।

बहुउद्देश्यीय पाठ्यक्रमों में बालक को उसकी योग्यता, उसकी अभिरुचियों एवं अभिवृत्तियों की जानकारी देने, अधिकाधिक आत्मनिर्देशित बनाने, मानसिक प्रवृत्तियों को समझने, स्वीकारने, काम में लेने, वांछित मूल्यों का विकास करने, कार्य क्षेत्र एवं शैक्षिक प्रयासों के विषय में सीखने, सहपाठियों के साथ बेहतर समायोजन करने के, दैनन्दिन कक्षा में एवं कक्षा के बाहर आने वाली समस्याओं को जानने एवं उनके उपचार के लिए निर्देशन एवं परामर्श दिया जाना आवश्यक है। नियमित परामर्शदाता के अभाव में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तीव्र रफ्तार वाले युग में, उचित दृष्टिकोण से तथा सही समय पर नही समझा गया तो उसके सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न होना अवश्यम्भावी है, जो प्रकारान्तरेण विद्यालय, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए भी अहितकारक होगा। अतः विद्यालय में निर्देशन व परामर्श सेवा के महत्व एवं बालकों के लिए इसकी आवश्यकता को समझते हुए अध्यापक शिक्षा में समय के सापेक्ष सेवारत एवं भावी अध्यापकों को निर्देशन एवं परामर्श के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष से परिचित कराया जाना अपेक्षित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची :–

चौहान, एस. एस. : प्रिंसिपल एण्ड टैक्निक्स ऑफ गाइडेन्स, विकास पब्लिशिंग हाउस (1982), न्यू देहली।

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन : रिपोर्ट ऑफ दी एजुकेशन कमीशन (1964–66), एजुकेशन एण्ड नेशनल डेवलपमेंट, गवर्मेंट ऑफ इण्डिया, न्यू देहली।

राव नारायण, एस. : काउंसलिंग एण्ड गाईडेन्स टाटा मेग्राहिल पब्लिशिंग कम्पनी सेकण्ड एडिशन–2000,न्यू,देहली।